Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **टोंक में नगर परिषद आयुक्त, लिपिक तथा सफाई कर्मचारी 01 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडे**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *17 फरवरी शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर–तृतिय इकाई द्वारा आज टोंक में कार्यवाही करते हुये श्रीमती अनिता खींचड आयुक्त नगर परिषद टोंक, मोहम्मद सलीम कनिष्ठ लिपिक तथा ओमदेव नागर सफाई कर्मचारी नगर परिषद टोंक को परिवादी से **01 लाख रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडे है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर–तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि नगर परिषद टोंक में उसके द्वारा बनास महोत्सव के दौरान करवाये गये फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, स्टेज कार्यक्रम तथा अन्य कार्यों के बिलों का भुगतान कराने की एवज में श्रीमती अनिता खींचड आयुक्त नगर परिषद टोंक द्वारा **01 लाख रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम** के सुपरवीजन में एसीबी की जयपुर नगर–तृतीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु कुलदीप** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश स्वामी** द्वारा मय टीम के टोंक में ट्रेप कार्यवाही करते हुये 1–श्रीमती अनिता खींचड पत्नी देवेन्द्र सिंह निवासी मोहता धर्मशाला के पीछे राजगढ जिला चूरू हाल आयुक्त नगर परिषद टोंक, 2–मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद ईशाक निवासी मकान नं0 21 सिविल लाईन नई कॉलोनी गड्डा पहाडिया टोंक हाल कनिष्ठ लिपिक नगर परिषद टोंक तथा 3–ओमदेव नागर पुत्र मदनलाल नागर निवासी विजयनगर तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक हाल सफाई कर्मचारी नगर परिषद टोंक को परिवादी से **01 लाख रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों पकडे जाने पर निरूद्ध किया जाकर अग्रिम कार्यवाही जारी है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपीयान से पूछताछ एवं आवास व अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।